

पीठासीन अधिकारी
प्रकरण सं० 81/अपील/18

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़
रामचरण शर्मा, आर०१०१०एस०
तारीख दायरा 04.07.18

रंगलाल आ० मन्नालाल जाति मीना निवासी कंवचीखुर्द तहसील अकलेरा

अपीलान्ट.....

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अकलेरा

रेस्पोडेन्ट....

अपील बनाराजगी भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 12.12.17
मि०न० 3189/17
उपरिस्थित:- श्री श्याम सुन्दर शर्मा II अभिभाषक अपी०

--: निर्णय :-

दिनांक: 03.08.18

अपीलान्ट ने यह अपील जयें अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 12.12.17 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को ग्राम कंवचीखुर्द की आराजी ख०न० 462 की 6 बिस्वा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 11/-शास्ती एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरुद्ध एवं पत्रावली सग्रहसार के सर्वथा विरुद्ध होने से निरस्तनीय है- अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बगैर उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने, जवाबदेही करने व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना निर्णय जेर अपील पारित किया है। यह की निर्णय में वर्णित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं है अपीलान्ट कब्जा पूर्व में ही छोड़ चुका है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया ।

अपील सब जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया गया है तथा जुर्माने की राशि जमा करादी है। कब्जा छोड़ने बाबत पटवारी की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है - अपीलान्ट के विरुद्ध द्वितीय अतिचार भी प्रमाणित नहीं है फिर भी उसे सजायाब किया गया है जो उचित नहीं है साथ ही वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट गरीब आदमी है मेहनत मजदूरी से परिवार का गुजारा करता है, अब भविष्य में कब्जा नहीं करेगा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा माफ कर दी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। पत्रावली के अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था। योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है-अतः अपीलान्ट हमारी राय में कुछ राहत पाने का पात्र हो गया है। हमारी राय में यह प्रकरण पुनः जांच का मोहताज है-परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त करते हुए यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में पुनः सुनवाई करे व कब्जे के बाबत आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने की कार्यवाही अमल में लावे। निर्णय आज दिनांक 03.08.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामचरण शर्मा)

अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
झालावाड़ (राज०)